

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका



प्रारंभिकी 2024 प्रैक्टिस सेट भूगोल एवं अर्थव्यवस्था

विशेष आलेख

- भारत-फ्रांस संबंध :** सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, युनौतियां एवं भविष्य की राह
- STEM क्षेत्र में महिलाएं :** विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता
- दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण :** अधिकार आधारित दृष्टिकोण और समावेशी समाज की ओर बढ़ते कदम
- ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस :** सुरक्षित कार्यप्रणाली हेतु प्रक्रियात्मक एवं विनियामकीय युनौतियों की पहचान आवश्यक
- भारत का विमानन क्षेत्र :** कनेक्टिविटी में वृद्धि हेतु परियालनात्मक सुधार आवश्यक
- आर्द्धभूमियों का संरक्षण :** मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र हेतु महत्वपूर्ण

अन्य आकर्षण

न्यूज बुलेट्स

पत्रिका सार : जनवरी 2024 माह में प्रकाशित पत्रिकाओं पर आधारित

चर्चित शब्दावली

संसद प्रश्नोत्तरी

फैक्ट शीट : भारतीय नौपरिवहन एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

समसामयिक प्रश्न

वनलाइनर करेंट अफेयर्स

परीक्षा सार :

गुजरात प्रशासनिक एवं सिविल सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2024 पर आधारित

अंतिम बजट 2024-25

भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा

59

प्रारंभिकी 2024 : प्रैक्टिस सेट भूगोल एवं भारतीय अर्थव्यवस्था

- इस विशेष खंड में हम आगामी UPSC एवं राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं हेतु भूगोल एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर “20 प्रैक्टिस सेट” प्रस्तुत कर रहे हैं।
- इस विशेष खंड को विकसित करते समय हमने उन्हीं टॉपिक्स का चयन किया हैं, जिनसे आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है।
- विगत कुछ वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में कथन एवं तथ्य आधारित, अंतरविषयी एवं बहुविषयी प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसीलिये हमने इन प्रश्नों को विकसित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा है।

सामयिक आलेख

- 06** भारत-प्रांत संबंध : सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, चुनौतियां एवं आगे की राह
- 09** STEM क्षेत्र में महिलाएं : विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता
- 11** दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण : अधिकार आधारित दृष्टिकोण और समावेशी समाज की ओर बढ़ते कदम

इन फोकस

- 14** ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) : सुरक्षित कार्यप्रणाली हेतु प्रक्रियात्मक चुनौतियों की पहचान आवश्यक
- 15** भारत का विमानन क्षेत्र : कनेक्टिविटी में वृद्धि हेतु परिचालनात्मक सुधार आवश्यक
- 17** आर्द्धभूमियों का संरक्षण : मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र हेतु महत्वपूर्ण

नियमित संभं

राष्ट्रीय परिदृश्य

| | |
|--------------------------|----|
| राजव्यवस्था..... | 18 |
| कार्यक्रम एवं पहल | 19 |
| रिपोर्ट एवं सूचकांक..... | 20 |
| बैठक एवं सम्मेलन..... | 22 |
| राष्ट्रीय सुरक्षा..... | 22 |
| न्यायपालिका..... | 23 |
| समारोह एवं आयोजन..... | 24 |
| संधि एवं समझौते | 24 |

92

अंतरिम बजट 2024–25

97

भारतीय अर्थव्यवस्था – एक समीक्षा

सामाजिक परिदृश्य

| | |
|--------------------------|----|
| अति संवेदनशील वर्ग..... | 25 |
| शिक्षा | 26 |
| रिपोर्ट एवं सूचकांक..... | 27 |
| सामाजिक सुरक्षा..... | 27 |

विरासत एवं संस्कृति

| | |
|----------------------------|----|
| व्यक्तित्व | 28 |
| पुरातात्त्विक साक्ष्य..... | 29 |
| सांस्कृतिक धरोहर | 29 |
| स्थापत्य..... | 30 |
| उत्सव एवं पर्व..... | 30 |
| कार्यक्रम एवं पहल | 31 |

आर्थिक परिदृश्य

| | |
|-------------------------------|----|
| रिपोर्ट एवं सूचकांक..... | 32 |
| कृषि एवं संबंधित क्षेत्र..... | 33 |
| अवसरंचना | 35 |
| बैठक एवं सम्मेलन | 37 |
| उद्योग एवं व्यवसाय | 37 |
| कररोपण..... | 38 |
| समिति एवं आयोग | 38 |

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

| | |
|-----------------------------|----|
| संगठन एवं फोरम..... | 39 |
| अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम..... | 40 |
| बैठक एवं सम्मेलन..... | 41 |
| द्विपक्षीय संबंध..... | 43 |
| संधि एवं समझौता..... | 44 |
| मानवित्र के माध्यम से..... | 45 |

पर्यावरण एवं जैव विविधता

| | |
|--------------------------|----|
| ऊर्जा एवं सतत विकास..... | 46 |
| जलवायु परिवर्तन..... | 47 |
| सूचकांक एवं रिपोर्ट..... | 48 |
| पर्यावरण संरक्षण..... | 49 |
| वन्य जीव संरक्षण..... | 51 |
| आपदा प्रबंधन..... | 51 |
| कार्यक्रम एवं पहल..... | 52 |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

| | |
|-------------------------------------|----|
| नवीन प्रौद्योगिकी..... | 53 |
| स्वास्थ्य विज्ञान..... | 54 |
| रक्षा विज्ञान..... | 56 |
| अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान..... | 56 |
| कार्यक्रम एवं पहल..... | 57 |
| बैठक एवं सम्मेलन..... | 58 |

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य परिदृश्य

| | |
|--------------------|-----|
| उत्तर प्रदेश | 106 |
| बिहार | 106 |
| हिमाचल प्रदेश..... | 106 |
| राजस्थान..... | 107 |
| झारखण्ड..... | 107 |
| ओडिशा..... | 107 |
| पंजाब | 107 |
| असम | 107 |
| तमिलनाडु..... | 107 |
| आंध्र प्रदेश..... | 107 |

न्यूज बुलेटिन 108-125

लघु सविका

| | |
|------------------------------|-----|
| चर्चित व्यक्ति/नियुक्ति..... | 126 |
| निधन | 127 |
| पुस्कार/सम्मान..... | 128 |
| चर्चित पुस्तकें..... | 130 |
| चर्चित दिवस..... | 130 |

खेल परिदृश्य

| | |
|-----------------------------|-----|
| चर्चित खेल व्यक्तित्व | 131 |
|-----------------------------|-----|

बहु-खेल स्पर्धा..... 131

टेनिस

बैडमिंटन

टेबल टेनिस..... 132

हॉकी

क्रिकेट

शतरंज

फुटबॉल

निशानेबाजी..... 133

स्कॉर्श

एथलेटिक्स

परीक्षा सार

134-142

गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) द्वारा 7 जनवरी, 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित

पत्रिका सार : योजना, क्रुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्ट 143-151

चर्चित शब्दावली

152-153

संसद प्रश्नोत्तरी

154-155

फैक्ट शीट

156

समसामयिक प्रश्न

157-158

वन लाइनर करेंट अफेयर्स

159-162

संपादक : एन.एन. ओझा

सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी

अध्यक्ष : संजीव नन्दक्यालियार

उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता

संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in

विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in

सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in

प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in

ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in

व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301

Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा.लि. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सेंशन, नवी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- संपादक एन.एन. ओझा

भारत-फ्रांस संबंध

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र, चुनौतियां एवं आगे की राह

• डॉ. अमरजीत भार्गव

भारत और फ्रांस स्वतंत्र विदेश नीति तथा सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने को महत्व देते हैं। भारत के परमाणु परीक्षण के दौरान फ्रांस का समर्थन और वर्ष 1998 में रणनीतिक साझेदारी की स्थापना इस आपसी समझ को रेखांकित करती है। यह दृष्टिकोण रूस-यूक्रेन संघर्ष पर अलग-अलग रुख सहित वैश्विक मुद्दों से निपटने में स्पष्ट है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और वैश्विक स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, तकनीकी उन्नति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को शामिल करते हुए एक उन्नत भारत-फ्रांस साझेदारी रूपरेखा की आवश्यकता है।

25-26 जनवरी, 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा भारत की यात्रा की गई। मैक्रॉन ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस को मुख्य अतिथि के रूप में सर्वाधिक बार आर्मित किए जाने का सम्मान प्राप्त है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन यह सम्मान पाने वाले पांचवें फ्रांसीसी नेता हैं, यह उनकी तीसरी भारत यात्रा थी।



- * फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। इस यात्रा में 40 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल तथा अहम राजनयिक व्यक्ति शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने राजस्थान के जयपुर में रोड शो किया, साथ ही दोनों नेताओं ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में प्रसिद्ध जयपुर के आमेर किले, जंतर मंतर और हवा महल की यात्रा की।
- * वर्ष 1998 में भारत एवं फ्रांस के मध्य रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के साथ, राष्ट्राध्यक्षों/सांसदाध्यक्षों के स्तर पर नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और रक्षा, परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित बढ़ते वाणिज्यिक आदान-प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत एवं फ्रांस के मध्य विकसित सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के साथ मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदु

- * **रक्षा सहयोग:** दोनों देशों के मध्य 'भारत-फ्रांस रक्षा औद्योगिक साझेदारी' (India-France Defense Industrial Partnership) के लिए रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही, दोनों देशों ने डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप (Defense Space Partnership) के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए।
 - > 'भारत-फ्रांस रक्षा औद्योगिक साझेदारी' के तहत दोनों देशों के बीच सह-डिजाइनिंग, सह-विकास, सह-उत्पादन और रक्षा आपूर्ति शृंखला के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - > इस साझेदारी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री प्रौद्योगिकी,

रोबोटिक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस वाहन एवं प्लेटफॉर्म तथा साइबर सुरक्षा आदि को शामिल किया जाएगा।

* **अंतरिक्ष:** दोनों देशों के मध्य उपग्रह प्रक्षेपण के लिए 'न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड' (New Space India Limited) और एरियनस्पेस S.A.S. (Arianespace S.A.S.) के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

* **विमानन क्षेत्र:** टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड (Tata Advanced Systems Limited) और एयरबस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसका उद्देश्य H125 हेलीकॉप्टरों के लिए 'असेंबली लाइन' (Assembly Line) स्थापित करना है।

* **वैज्ञानिक सहयोग:** दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, मुख्य रूप से विकार्बनीकृत हाइड्रोजन (Decarbonized Hydrogen), अप्लाइड मैथेमेटिक्स, डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं परिशुद्धता कृषि (Precision Agriculture) में साझा-अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

* **अन्य प्रमुख घोषणाएं:** दोनों देशों द्वारा निम्नलिखित घोषणाएं भी की गईं:

- > वर्ष 2026 को 'इंडिया-फ्रांस ईयर फॉर इनोवेशन' (India-France Year for Innovation) के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।
- > एफिल टावर से फ्रांस में 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) का परिचालन आरंभ किया जाएगा।
- > अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 'स्टार-सी' (STAR-C) कार्यक्रम के तहत सेनेगल में सोलर अकादमी (Solar Academy) की स्थापना की जाएगी।
- > माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट (Migration and Mobility Partnership Agreement) के तहत 'युवा पेशेवर योजना' का संचालन किया जाएगा, इसके माध्यम से पेशेवरों के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा।
- > फ्रांस ने 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया है।

STEM क्षेत्र में महिलाएं विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता

• संपादकीय डेस्क


परंपरागत भारतीय समाज में लड़कियों और महिलाओं को संपूर्ण शिक्षा के दौरान विज्ञान और गणित से व्यवस्थित रूप से दूर रखा जाता है। इससे वयस्क के रूप में इन विषयों तक उनकी पहुंच, तैयारी और काम करने के अवसर प्रतिबंधित होते हैं। अधिक से अधिक लड़कियों और महिलाओं को STEM शिक्षा और कैरियर में लाने के लिए समग्र एवं एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता है। समाज को यह समझना होगा कि महिलाएं एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

18 जनवरी, 2024 को, 'भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव' को हिस्से के रूप में 'महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों का कॉन्क्लेव' (Women Scientists and Entrepreneurs Conclave) आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव के दौरान, 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित' (STEM) क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं पर एक सत्र का आयोजन किया गया। STEM क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व के सभी देशों में एक समान रूप से काफी कम है और भारत भी इस संदर्भ में अपवाद नहीं है।

- * महिलाओं से संबंधित SDG-4 (समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना) और SDG-5 (लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना) पर प्राति धीमी रही है। फिर भी, महिलाओं और लड़कियों के लिए STEM में समान पहुंच और भागीदारी को 'सतत विकास एजेंडा-2030' की प्रमुख कुंजी माना जाता है।
- * विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाएं लैंगिक वेतन अंतर और पुरानी धारणाओं से लड़ते हुए STEM क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही हैं और सफल भी हो रही हैं, फिर भी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त संदर्भ को लेते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में STEM क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है।

STEM क्षेत्र में भारतीय महिलाएं

- * **वैश्विक स्थिति:** वैश्विक स्तर पर पुरुष शोधकर्ताओं के लगभग समान संख्या में महिला शोधकर्ताओं वाले देशों में ट्यूनीशिया एवं दक्षिण अफ्रीका (दोनों में 55%), अर्जेंटीना (53%) और न्यूजीलैंड (52%) शामिल हैं। इसी प्रकार, मिस्र (45%) एवं क्यूबा (49%) में भी इनकी संख्या सम्मानजनक है।
- * **भारत की स्थिति:** यूनेस्को द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में STEM क्षेत्रों में केवल 14% महिला शोधकर्ता कार्यरत हैं। हालांकि, यह स्थिति जापान (16%), नीदरलैंड (26%), अमेरिका (27%) तथा यूनाइटेड किंगडम (39 प्रतिशत) जैसे विकसित देशों से बहुत भिन्न नहीं है। फिर भी, STEM क्षेत्र में महिलाओं के समग्र प्रतिनिधित्व की बात की जाए, तो यह अत्यंत चिंताजनक है।



➤ उच्च शिक्षा पर वार्षिक अधिकारी भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में STEM पाठ्यक्रमों को चुनने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2017-18 में 10,02,707 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 10,56,095 हो गई है।
➤ इसी प्रकार AISHE रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में महिला नामांकन वर्ष 2019-20 में 45% था, यह वर्ष 2020-21 में बढ़कर कुल नामांकन का 49% हो गया। किंतु, STEM विषयों में महिलाओं (43%) का नामांकन पुरुषों (56%) से कम था।

- भारत में STEM क्षेत्रों में कुल स्नातक आबादी में लगभग 43% हिस्सेदारी महिलाओं की है; फिर भी केवल 14% महिलाएं ही शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि तकनीकी एवं कौशल विकास, जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति (4जी Industrial Revolution) का आधार माना जा रहा है, के लिए महिलाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी हेतु तैयार नहीं किया जा सका है।
- अनुसंधान कार्यों में भी 73% पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या केवल 27% है। इसी प्रकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में 5 पेशेवरों में से केवल 1 पेशेवर (22%) महिला है।
- इस प्रकार, न केवल विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में महिला संकाय की संख्या कम है बल्कि संकाय पदों पर महिलाओं का प्रतिशत प्रत्येक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के साथ घटने लगता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के सदस्यों में महिलाओं की संख्या केवल 12% है।

STEM क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल के कारण

- * **पितृसत्तात्मक मानसिकता:** विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में लड़कों को लड़कियों से बेहतर मानने की गलत धारणा तथा समाज के पितृसत्तात्मक रखिये के कारण पुरुष-प्रधान कार्य वातावरण का निर्माण होता है। इससे उत्पन्न लैंगिक असंवेदनशीलता महिलाओं को पीछे धकेल देती है।
- * यहां तक कि, नियुक्ति पद्धतियों के साथ फेलोशिप एवं अनुदान देने में भी पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक वरीयता दी जाती है।

दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण

अधिकार आधारित दृष्टिकोण और समावेशी समाज की ओर बढ़ते कदम

• संपादकीय डेस्क

भारत की कुल दिव्यांग आबादी का लगभग 45% हिस्सा अशिक्षित है, इसके अलावा शिक्षित दिव्यांग व्यक्तियों में से लगभग 59% मात्र 10वाँ पास हैं। दिव्यांग व्यक्तियों (Person with Disabilities-PWD) को समाज में भेदभाव और उपेक्षा का भी सामना करना पड़ता है। सरकार ने दिव्यांग लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की हैं, बावजूद इसके दिव्यांग व्यक्तियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार समावेशी नीतियों को लागू करके तथा शिक्षा और रोजगार तक समान पहुंच सुनिश्चित करके इन्हें सशक्त बना सकती है।

8 से 13 जनवरी 2024 तक गोवा में अंतरराष्ट्रीय पर्फल उत्सव 2024 (International Purple Fest 2024) आयोजित किया गया। यह उत्सव गोवा सरकार के समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के समर्थन से आयोजित किया गया।

- * इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य संगीत, नृत्य और मनोरंजन में प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना था। इसके साथ ही उत्सव के आयोजन द्वारा विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक समावेशी को बढ़ावा देते हुए उनके सशक्तीकरण का प्रयास किया गया।

"Empowering People with Disabilities: Advocacy and Inclusion Efforts"



गतिविधियों में उनके एकीकरण में बाधा डालता है।

- * **पहुंच या आवागमन संबंधी समस्या:** भारत के अधिकांश भौतिक बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस प्रकार से निर्मित हैं, जो दिव्यांगजनों के समक्ष अक्सर पहुंच से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इससे दिव्यांगजनों का स्वतंत्र रूप से आवागमन करना मुश्किल हो जाता है।
- * **शिक्षा:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच और मुख्यधारा के स्कूलों में अपर्याप्त सहायता तंत्र दिव्यांगों के बीच कम साक्षरता दर के प्रमुख कारण हैं।
 - दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक विशेष शिक्षा सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त या अनुपलब्ध होती हैं, जिससे उनकी शैक्षिक उन्नति में बाधा आती है।
- * **रोजगार:** सीमित कौशल विकास के अवसरों के कारण दिव्यांगों को लाभकारी रोजगार तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई दिव्यांग लोग कम वेतन वाली, अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में कार्य करने को मजबूर होते हैं।
- * **स्वास्थ्य देखभाल:** दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अक्सर सीमित होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त, देश में दिव्यांगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है।
- * **कानूनी ढांचा:** भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 जैसे कानून बनाए गए हैं, परंतु उनका कार्यान्वयन और प्रवर्तन अपर्याप्त है। कई दिव्यांगजन अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, और निवारण तंत्र अक्सर दुर्गम या अप्रभावी होते हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों का समावेशन एवं सशक्तीकरण : प्रमुख चुनौतियां

* **व्यवहार संबंधी चुनौतियां:** भारतीय समाज में विकलांगता के प्रति गहरी रुद्धिवादी सोच व्याप्त है। समाज में विकलांगता को कलंक के रूप में देखा जाता है और विभिन्न स्तरों पर इन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। यह नकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संपर्क जैसी मुख्यधारा की

गतिविधियों में उनके एकीकरण में बाधा डालता है।

- * **पहुंच या आवागमन संबंधी समस्या:** भारत के अधिकांश भौतिक बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस प्रकार से निर्मित हैं, जो दिव्यांगजनों के समक्ष अक्सर पहुंच से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इससे दिव्यांगजनों का स्वतंत्र रूप से आवागमन करना मुश्किल हो जाता है।
- * **शिक्षा:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच और मुख्यधारा के स्कूलों में अपर्याप्त सहायता तंत्र दिव्यांगों के बीच कम साक्षरता दर के प्रमुख कारण हैं।
 - दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक विशेष शिक्षा सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त या अनुपलब्ध होती हैं, जिससे उनकी शैक्षिक उन्नति में बाधा आती है।

- * **रोजगार:** सीमित कौशल विकास के अवसरों के कारण दिव्यांगों को लाभकारी रोजगार तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई दिव्यांग लोग कम वेतन वाली, अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में कार्य करने को मजबूर होते हैं।

- * **स्वास्थ्य देखभाल:** दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अक्सर सीमित होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त, देश में दिव्यांगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है।

- * **कानूनी ढांचा:** भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 जैसे कानून बनाए गए हैं, परंतु उनका कार्यान्वयन और प्रवर्तन अपर्याप्त है। कई दिव्यांगजन अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, और निवारण तंत्र अक्सर दुर्गम या अप्रभावी होते हैं।

- ♦ ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) : सुरक्षित कार्यप्रणाली हेतु प्रक्रियात्मक चुनौतियों की पहचान आवश्यक
- ♦ भारत का विमानन क्षेत्र : कनेक्टिविटी में वृद्धि हेतु परिचालनात्मक सुधार आवश्यक
- ♦ आर्द्धभूमियों का संरक्षण : मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र हेतु महत्वपूर्ण

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)

सुरक्षित कार्यप्रणाली हेतु प्रक्रियात्मक चुनौतियों की पहचान आवश्यक

हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, जो ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) विकसित करने के लिए काम कर रही है, ने अपना पहला उपकरण एक मरीज के शरीर में लगाया। ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस को मानव विकास के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है।

- ❖ उद्यमी एलन मस्क द्वारा वर्ष 2016 में न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी 'न्यूरालिंक स्टार्टअप' शुरू की गई थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने की तकनीक पर काम कर रही है।
- ❖ कंपनी द्वारा एक 'ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस' (BCI) विकसित किया गया है। इसे इंसान के दिमाग में प्रत्यारोपित (Implant) किया जा सकता है। इससे इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्प्युनिकेशन संभव हो सकेगा।
- ❖ एक तरफ जहां यह तकनीक अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करके मानव जीवन को आसान बना सकती है, तो वहाँ दूसरी तरफ इससे संबंधित अनेक चुनौतियाँ भी शामिल हैं जैसे - इंसानी दिमाग की बेहद जटिल प्रकृति, संवेदनशील दिमागी डेटा की सुरक्षा तथा शारीरिक दुष्प्रभाव आदि।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस क्या हैं?

- ❖ ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) ऐसे उपकरणों को कहा जाता है, जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि (Brain's electrical activity) और कंप्यूटर या रोबोटिक अंग जैसे बाहरी आउटपुट के मध्य प्रत्यक्ष संचार मार्ग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, BCI एक न्यूरो-तकनीकी हस्तक्षेप (Neuro-Technological Intervention) है।
- ❖ इस संदर्भ में प्रथम वास्तविक शोध कार्य 1970 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (UCLA) में किया गया था। यहां जानवरों (मुख्य रूप से बंदरों) पर किए गए प्रयोगों के अंतर्गत बाह्य वातावरण (या उपकरणों) एवं मस्तिष्क के मध्य एक प्रत्यक्ष संचार पथ (Direct Communication Path) विकसित करने का प्रयास किया गया था।
- ❖ आगे चलकर, वर्ष 1973 में जैक्स विडल (Jacques Vidal) द्वारा 'टूवार्ड डायरेक्ट ब्रेन-कंप्यूटर कम्प्युनिकेशंस' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण शोध पत्र का प्रकाशन किया गया।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस की कार्यप्रणाली

- ❖ ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस को मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी (Electrophysiology) के आधार पर तैयार किया जाता है।

- ❖ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तंत्रिका विज्ञान की शाखा है, जो जीवित न्यूरॉन्स की विद्युत गतिविधि (Electrical activity of living neurons) का पता लगाती है और उनके सिग्नलिंग को निर्यात्रित करने वाली आणविक और सेलुलर प्रक्रियाओं (Molecular and Cellular Processes) की जांच करती है।
- ❖ न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों का उपयोग करके संचार करते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी तकनीक विद्युत गतिविधि को मापकर इन संकेतों को सुनती है, जिससे वैज्ञानिकों को अंतरकोशिकीय और अंतःकोशिकीय संदेशों (Intercellular and Intracellular Messages) को डिकोड करने में मदद मिलती है।
- ❖ जब हम कोई निर्णय लेते हैं या किसी निर्णय के बारे में सोचते हैं तब हमारे तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल में उद्दीपित होने वाले विद्युत रासायनिक संकेत उत्पन्न होते हैं, इन संकेतों को 'सिनैप्स' (Synapses) कहा जाता है।
- ❖ इन सिनैप्स को पकड़ने (Capture) के लिए ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) के रूप में इन सिनैप्टिक क्षेत्रों के निकट इलेक्ट्रोड/सेंसर (Electrode/Sensor) को लगाया जाता है।

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस के प्रकार

- ❖ **इनवेसिव ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (Invasive Brain-Computer Interfaces):** इसके तहत ब्रेन ट्यूमर इंटरफेस को सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊतकों से सीधे जोड़ दिया जाता है। हालांकि, इस प्रकार की सर्जी के साथ व्यापक जोखिम जुड़े हुए होते हैं।
 - ♦ इनवेसिव BCI पक्षाघात (Paralysis), चोटों और न्यूरोमस्कुलर विकारों जैसी गंभीर स्थितियों से उबरने में मदद कर सकती है।
- ❖ **गैर-इनवेसिव ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (Non-invasive Brain-Computer Interfaces):** इसमें BCI को सीधे व्यक्ति के मस्तिष्क से नहीं जोड़ा जाता है। बल्कि, इसमें विद्युत सेंसर युक्त उपकरण व्यक्ति को पहना दिया जाता है, जो रोगी के मस्तिष्क और मशीन के मध्य दो-तरफा संचार चैनल (Two-way communication channel) के रूप में काम करता है।
 - ♦ ये इंटरफेस कमजोर सिग्नल उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे सीधे मस्तिष्क से नहीं जुड़े होते हैं। इसलिए इन्हें वर्चुअल गेमिंग, संवर्धित वास्तविकता (Augmented Reality) जैसे उद्देश्यों के लिए बेहतर अनुकूल माना जाता है।



राष्ट्रीय परिवृक्ष

राजव्यवस्था

- ◆ भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023
- ◆ बन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग नियम, 2024

कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ कोच्चि-लक्ष्मीपुर पनडुब्बी अर्पितकल फाइबर परियोजना
- ◆ 'एक वाहन एक फास्टैग' पहल
- ◆ 'स्वामित्व योजना' को सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार

राजव्यवस्था

बन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग नियम, 2024

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 'बन्य जीवन (संरक्षण) लाइसेंसिंग (विचार के लिए अतिरिक्त मामले) नियम, 2024' [Wild Life (Protection) Licensing (Additional Matters for Consideration) Rules, 2024] की अधिसूचना जारी की।

- ❖ यह नियम बंदी जानवरों (captive animals), सांप के जहर तथा शिकार किये जाने वाले जानवरों (Trophy Animals) का कारोबार करने वालों को लाइसेंस देने से पहले विचार करने योग्य मामलों पर दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
- ❖ इन नए नियमों को बन्यजीव व्यापार नियम, 1983 में पहली बार संशोधन करते हुए लाया गया है। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और कुछ प्रजातियों को इससे बाहर रखा गया है।
- ❖ उल्लेखनीय है कि इस संबंध में 1983 में प्रकाशित लाइसेंसिंग नियम अभी तक लागू किये जा रहे हैं।

बन्य जीवन लाइसेंसिंग नियम 2024 के मुख्य बिंदु

- ❖ बन्यजीव व्यापार नियम, 1983 के अनुसार केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के अलावा, बन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I या अनुसूची-II के भाग-II में निर्दिष्ट बन्यजीवों के व्यापार के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
- ❖ इस शर्त को नए दिशा-निर्देशों में बदलकर इस प्रकार कर दिया गया है कि केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के अलावा, बन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में निर्दिष्ट बन्यजीवों के व्यापार के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- ◆ शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2023
- ◆ राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022

बैठक एवं सम्मेलन

- ◆ सोशल ऑफिट सलाहकार निकाय की प्रथम बैठक

राष्ट्रीय सुरक्षा

- ◆ SIMI पर प्रतिबन्ध की अवधि का विस्तार

न्यायपालिका

- ◆ सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (SCLSC)
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह

समारोह एवं आयोजन

- ◆ भारत का 75वां गणतंत्र दिवस

संघी एवं समझौते

- ◆ NHAI तथा NRSC के मध्य समझौता ज्ञापन

- ❖ इसका अर्थ यह है कि अनुसूची-I में आने वाली प्रजातियों जैसे कि बाघ, हाथी, गैंडे आदि पर प्रतिबंध, परामर्श के प्रावधान के साथ अभी भी लागू हैं।
- ❖ नए नियमों के अनुसार बन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II में शामिल प्रजातियों के व्यापार के लिये लाइसेंस केंद्र सरकार से किसी परामर्श या अनुमोदन के बिना दिए जा सकते हैं।

भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023

हाल ही में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक व्यवस्था के साथ संशोधित करने के लिए



'भारतीय स्टाम्प विधेयक, 2023' का मसौदा (draft Indian Stamp Bill, 2023) तैयार किया है।

- ❖ अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का स्थान लेगा। इस विधेयक का उद्देश्य स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक बनाना तथा स्टाम्प अधिनियम 1899 को प्रतिस्थापित करना है।
- ❖ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एक राजकोषीय कानून है, जो लेनदेन रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प के रूप में लगने वाले कर से संबंधित है।
- ❖ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एक संविधान-पूर्व अधिनियम है, जिसे आधुनिक स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को सक्षम करने के लिए समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- ❖ हालांकि, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निहित कई प्रावधान निरर्थक/निष्क्रिय हो गए हैं। इसलिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को पुनर्संशोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, 1899 के अधिनियम में डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के प्रावधानों का अभाव था।



सामाजिक परिवृश्य

अति संवेदनशील वर्ग

- ◆ SC समूहों के बीच लाभों के समान वितरण हेतु समिति

अति संवेदनशील वर्ग

SC समूहों के बीच लाभों के समान वितरण हेतु समिति

हाल ही में, केंद्र सरकार ने देश भर में फैली विविध अनुसूचित जातियों (SCs) के बीच लाभों, योजनाओं और पहलों के समान वितरण के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए कैबिनेट सचिव की अधीक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया।



- ◆ यह समिति देश भर की 1200 से अधिक अनुसूचित जातियों के बीच लाभों और पहलों के उचित वितरण के लिए एक पद्धति तैयार करेगी।
- ◆ हाल के वर्षों में, अनेक जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। सूची में शामिल जातियों की संख्या अधिक होने से वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
- ◆ यह समिति आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार नहीं करेगी। हालांकि, अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की मांग के बीच इस समिति का गठन अपने आप में महत्व रखता है।

अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण के संदर्भ में

- ◆ अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों के आधार पर छोटे समूह बनाकर अंतर-समूह असमानताओं को दूर करना है। इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति के बीच आरक्षण लाभ का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।
- ◆ उप-वर्गीकरण की अवधारणा ने प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं और संभावित चुनौतियों के कारण बहस छेड़ दी है। इसमें मौजूदा आरक्षण प्रणाली को पुनर्परिभाषित और पुनर्गठित करना शामिल है, जिसके समर्थक और आलोचक दोनों हैं।

- ◆ बोइंग सुकन्या कार्यक्रम

शिक्षा

- ◆ उच्चतर संस्थाओं हेतु प्रत्यायन प्रणाली में बदलाव की योजना

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- ◆ अधिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, 2021-2022
- ◆ ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट 'इनडिकेलिटी इंक'

सामाजिक सुरक्षा

- ◆ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सब्सक्राइबर्स हेतु 'पॉइंट ऑफ प्रेजेंस' विनियम

अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान

- ❖ अनुच्छेद 15(4) में इनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है।
- ❖ अनुच्छेद 16(4क) 'राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्गों पर पदोन्ति के मामलों में SC/ST के पक्ष में आरक्षण की बात करता है', जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- ❖ अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- ❖ अनुच्छेद 46 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह लोगों के कमज़ोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा दे तथा उनकी सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा करे।
- ❖ अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा।
- ❖ संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
- ❖ अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एनसीएससी (NCSC) के गठन का प्रावधान करता है।
- ❖ पंचायतों से संबंधित भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग IXक के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की परिकल्पना और प्रावधान किया गया है।

बोइंग सुकन्या कार्यक्रम

19 जनवरी, 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रैद्योगिकी केंद्र के उद्घाटन के दौरान 'बोइंग सुकन्या कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया।

- ◆ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाना है।



विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

- ◆ संत तिरुवल्लुवर
- ◆ सावित्रीबाई फुले

व्यक्तित्व

संत तिरुवल्लुवर

16 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस (Thiruvalluvar Day) के अवसर पर तमिल कवि और दार्शनिक 'तिरुवल्लुवर' (Thiruvalluvar) को श्रद्धांजलि अर्पित की।



- ❖ तिरुवल्लुवर तमिल संस्कृति में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। तिरुवल्लुवर को तमिलों द्वारा एक प्राचीन संत, कवि और दार्शनिक के रूप में सम्मानित किया जाता है।
- ❖ ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक गांव थिरुनैनार कुरुची (Thirunainar Kuruchi) में या चेन्नई स्थित थिरुमायलाई (मैलापुर) [Thiru Mylai (Mylapore)] में हुआ था।
- ❖ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक-संत तिरुवल्लुवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रहे होंगे।
- ❖ संगम काल के तमिल कवि मामुलानार (Mamulanar) ने उल्लेख किया है कि तिरुवल्लुवर सबसे महान तमिल विद्वान थे। यह अनुमान उनके लेखन के भाषाई विश्लेषण (Linguistic Analysis) पर आधारित है।
- ❖ तिरुवल्लुवर अपनी साहित्यिक कृति 'तिरुक्कुरुल' (Tirukkural) के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, जो राजनीति, प्रेम, नैतिकता और अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर दोहों का संग्रह है। तमिल साहित्य में तिरुक्कुरुल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है।

पुरातात्त्विक साध्य

- ◆ वडनगर : भारत का सबसे प्राचीन जीवित शहर
- ◆ कदम्ब शिलालेख

सांस्कृतिक धरोहर

- ◆ श्री राम जन्मभूमि मंदिर

स्थापत्य

- ◆ वीरभद्र मंदिर

उत्सव एवं पर्व

- ◆ मकर संक्रांति एवं फसल उत्सव

कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ पराक्रम दिवस 2024 : सुभाष चंद्र बोस की जयंती

- ❖ तिरुक्कुरुल एक उत्कृष्ट तमिल संगम साहित्य (Tamil Sangam Literature) है, जिसमें 1330 दोहे (तमिल में 'कुराल') शामिल हैं। इस पुस्तक को 'पांचवें वेद' या 'तमिल भूमि की बाइबिल' की संज्ञा भी दी जाती है।
- ❖ संगम युग (Sangam Age) दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है। संगम तमिल कवियों का एक संघ अथवा सम्पेलन था, जो सम्बवतः राजा के आश्रय में समय-समय पर आयोजित होता था।
- ❖ इस प्रकार तमिल कवियों के संगम पर आधारित प्राचीनतम तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है, और वह युग, जिसके विषय में इस साहित्य द्वारा जानकारी उपलब्ध होती है, संगम युग कहलाता है।
- ❖ प्राचीन दक्षिण भारत में आयोजित तीन संगम थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से मुच्चंगम कहा जाता था। इन संगमों का विकास मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण के तहत हुआ।
- ❖ तत्कालीन मदुरै में आयोजित पहले संगम में महान संतों ने भाग लिया था, लेकिन इस संगम का कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाडापुरम् (Kapadapuram) में आयोजित किया गया था, इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम् (Tolkappiyam) ही उपलब्ध है।
- ❖ तृतीय संगम मदुरै में आयोजित हुआ तथा इस संगम की संस्थापना मुदतिरुमारन (Mudathirumaran) ने की थी। इसमें बड़ी संख्या में कवियों ने भाग लिया था, जिन्होंने कई साहित्य रचे; हालांकि इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं।

सावित्रीबाई फुले

3 जनवरी, 2024 को पूरे देश में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले (Savitribai Phule) की 193वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

- ❖ 3 जनवरी, 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी की समाज सुधारक और कवियत्री थीं, जिन्होंने लड़कियों को बेहतर शिक्षा दिलाने में मदद करने का प्रयास किया।

आर्थिक विकास एवं परिवृद्धि

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग का चर्चा पत्र
- पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति रिपोर्ट
- अनौपचारिक रोजगार पर OECD की रिपोर्ट

कृषि एवं संबंधित

- कृषि क्षेत्र में 'स्वैच्छिक कार्बन बाजार' के लिए फ्रेमवर्क
- गैर-यूरिया उर्वरक मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत शामिल
- समुद्र तटीय राज्यों में मत्स्य पालन क्षमता पर कार्यशाला

रिपोर्ट एवं सूचकांक

बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग का चर्चा पत्र

15 जनवरी, 2024 को नीति आयोग द्वारा 'वर्ष 2005-06 के बाद से भारत में बहुआयामी गरीबी: एक चर्चा पत्र' (Multidimensional Poverty in India since 2005-06: A Discussion Paper) नामक दस्तावेज जारी किया गया।

- नीति आयोग की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई और इस 9 साल की अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।
- इस चर्चा पत्र में 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4' (2015-16) और 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5' (2019-21) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।



चर्चा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु

- राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ इस सूची में प्रथम स्थान पर है। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- इस पत्र के अनुसार, भारत वर्ष 2030 से पहले ही 'सतत

अवसंरचना

- पार्वती-कालीसिंधा-चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
- विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 जारी
- भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण

बैठक एवं सम्मेलन

- 'रणनीतिक व्यापार नियंत्रण' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

उद्योग एवं व्यवसाय

- विदेश में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए श्रम नियम

कृषी एवं संबंधित

- कृषि क्षेत्र में 'स्वैच्छिक कार्बन बाजार' के लिए फ्रेमवर्क
- गैर-यूरिया उर्वरक मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत शामिल
- समुद्र तटीय राज्यों में मत्स्य पालन क्षमता पर कार्यशाला

विकास लक्ष्य 1-2' (SDG 1-2) हासिल कर सकता है। इस लक्ष्य के अनुसार बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करना है।

भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में

- जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी का सामना करने वाले लोगों की संख्या में व्यापक कमी हुई है और वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 की अवधि के मध्य लगभग 13.5 करोड़ लोग इससे बाहर हुए हैं।
- राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक अपनी तरफ का पहला सूचकांक है, जो घरेलू स्तर पर एक से अधिक और एक साथ प्रभाव डालने वाले अभावों का अनुमान लगाता है।
- इस सूचकांक में 3 आयामों के तहत 12 संकेतक शामिल हैं-
 - स्वास्थ्य (पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य);
 - शिक्षा (स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति);
 - जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति तथा बैंक खाते)।

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति रिपोर्ट

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 'पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति' (Finances of Panchayati Raj Institutions) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है।

- यह रिपोर्ट वर्ष 2020-21 से 2022-23 के बीच के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट में 2.58 लाख पंचायतों के वित्त और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन किया गया है।
- रिपोर्ट के मुताबिक पंचायतों का औसत राजस्व वर्ष 2020-21 में 21.2 लाख, वर्ष 2021-22 में 23.2 लाख और वर्ष 2022-23 में 21.23 लाख रुपये था।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध व संगठन

संगठन एवं फोरम

- ♦ ब्रिक्स का विस्तार
 - ♦ अंकटाड ने वैश्विक व्यापार में बढ़ते व्यवधान पर चिंता जताई
- ### अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
- ♦ अफगानिस्तान पर विशेष दूत हेतु प्रस्ताव
 - ♦ संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की भारत यात्रा

संगठन एवं फोरम

ब्रिक्स का विस्तार

- 1 जनवरी, 2024 को शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह 'ब्रिक्स' (BRICS) में 5 पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की गई।
- ♦ यह घोषणा रूस द्वारा वर्ष 2024 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद की गई।
 - ♦ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा करते हुए कहा कि BRICS समूह अब 10 देशों का निकाय बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। नए सदस्यों को शामिल करने से संगठन के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका का एक मजबूत पक्ष उजागर होता है।
 - ♦ अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में समूह के 15वें शिखर सम्मेलन में शीर्ष ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी, 2024 से अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
 - ♦ हालांकि, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने हाल ही में अपने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनाने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की।
 - ♦ उल्लेखनीय है कि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय (MoFA) के प्रवक्ता, मुमताज जहरा बलूच ने ब्रिक्स में शामिल होने की पाकिस्तान की इच्छा की पुष्टि की थी।
 - ♦ पाकिस्तान ने यह उम्मीद व्यक्त की है कि वह 2024 में रूस के नेतृत्व में इस समूह में शामिल हो जाएगा।



BRICS के संदर्भ में

- ♦ ब्रिक्स (BRICS) एक संक्षिप्त नाम है, जो पांच प्रमुख उभरती

बैठक एवं सम्मेलन

- ♦ विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक
- ♦ 14वीं भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF) बैठक
- ♦ G-77 एवं चीन का तीसरा दक्षिण सम्मेलन
- ♦ 19वीं गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन

द्विपक्षीय संबंध

- ♦ भारत-यूरोप के मध्य समझौता
- ♦ म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही समझौते के पुनर्मूल्यांकन पर विचार
- ♦ भारत एवं डोमिनिकन गणराज्य के मध्य प्रोटोकॉल को मंजूरी
- ♦ भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक

संधि एवं समझौता

- ♦ नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य व इक्वाडोर के साथ समझौतों को मंजूरी

मानवित्र के माध्यम से

- ♦ इथियोपिया एवं सोमालीलैंड
- ♦ जॉर्डन
- ♦ विक्टोरिया झील

अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है।

- ♦ वर्ष 2006 में अनौपचारिक समूह के रूप में स्थापना के समय ब्रिक्स समूह को मूल रूप से 'ब्रिक्स' के नाम से जाना जाता था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ और इस परिवर्तन को प्रतिबिंబित करने के लिए इसका संक्षिप्त नाम 'ब्रिक्स' हो गया।
- ♦ ब्रिक्स समूह में विश्व की आबादी का 40% से अधिक तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 25% हिस्सा है।
- ♦ ब्रिक्स ने 2014 में 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' की स्थापना की, जिसे अक्सर ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है। 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' का मुख्यालय शंघाई में है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर में रूस के कजान में किया जाएगा।

अंकटाड ने वैश्विक व्यापार में बढ़ते व्यवधान पर चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने 26 जनवरी, 2024 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में वैश्विक व्यापार के समक्ष व्याप्त चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की।

- ♦ UNCTAD के अनुसार निम्नलिखित घटनाएं प्रमुख समुद्री मार्गों के व्यापार को प्रभावित कर रही हैं;
 - ♦ काला सागर में जहाजों पर हालिया हमले;
 - ♦ काला सागर में भू-राजनीतिक तनाव,
 - ♦ पनामा नहर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव।
- ♦ यह देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन और आवधिक अल-निनो परिघटनाओं के संयुक्त प्रभाव के कारण पनामा नहर भीषण सूखे का सामना कर रहा है, इसके कारण प्राधिकारियों ने पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या को 36% तक कम कर दिया है।



पर्यावरण एवं जैव विविधता

ऊर्जा एवं सतत विकास

- ◆ कोयला गैसीकरण के प्रोत्साहन हेतु अनुदान

जलवायु परिवर्तन

- ◆ आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट और जोंबी वायरस
- ◆ जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय पक्षियों पर प्रभाव

ऊर्जा एवं सतत विकास

कोयला गैसीकरण के प्रोत्साहन हेतु अनुदान

24 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।

◆ यह सरकारी सार्वजनिक उपकरणों और निजी क्षेत्र की कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने से संबंधित है।

मुख्य बिन्दु

- ◆ केंद्र सरकार ने तीन श्रेणियों से संबंधित कोयला गैसीकरण परियोजनाओं हेतु अनुदान को मंजूरी प्रदान की है, जो निम्नलिखित है:
 - ◆ श्रेणी 1: इस श्रेणी के अंतर्गत सरकारी सार्वजनिक उपकरणों के लिए 4,050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 - ◆ इन उपकरणों के 3 परियोजनाओं के लिए 1,350 करोड़ रुपये या इनके कुल पूंजीगत व्यय का एकमुश्त (Lump-sum) 15 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
 - ◆ श्रेणी 2: इस श्रेणी के अंतर्गत निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी सार्वजनिक उपकरणों के लिए 3,850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 - ◆ इन उपकरणों की प्रत्येक परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का एकमुश्त 15 प्रतिशत (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
 - ◆ श्रेणी 3: इस श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शन परियोजनाओं (स्वदेशी प्रौद्योगिकी) और/या छोटे पैमाने के उत्पाद-आधारित गैसीकरण संयंत्रों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 - ◆ इसके तहत 100 करोड़ रुपये या पूंजीगत व्यय का एकमुश्त 15 प्रतिशत का अनुदान चयनित इकाई को दिया जाएगा।

सूचकांक एवं रिपोर्ट

- ◆ NCAP के 5 वर्ष पूरे होने पर रिपोर्ट जारी
- ◆ परिवहन विकार्बनीकरण में ई-ईंधन की भूमिका: IEA रिपोर्ट

पर्यावरण संरक्षण

- ◆ वेज बैंक इकोसिस्टम
- ◆ गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण
- ◆ तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं

वन्य जीव संरक्षण

- ◆ झारखंड में गिर्दु रेस्तरां
- ◆ भारत में गिर्दों की स्थिति

आपदा प्रबंधन

- ◆ जापान में भूकंप एवं सुनामी
- ◆ भारत का उच्च रिजॉल्यूशन भू-स्खलन जोखिम मानचित्र

कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ बैटलैंड सिटी प्रत्यायन योजना के तहत 3 शहर नामांकित

- ◆ चयन एवं भुगतान: श्रेणी 2 और 3 के तहत संस्थाओं का चयन प्रतिस्पर्द्धा और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही चयनित कंपनी को अनुदान का भुगतान दो समान किश्तों में किया जाएगा।
- ◆ लाभ: यह पहल कोल इंडिया, गेल (ईंडिया) और बीएचईएल जैसे प्रमुख सार्वजनिक उपकरणों की ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने में सहायता देना चाहीदा है।

कोयला गैसीकरण क्या है?

- ◆ कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) कोयले को संश्लेषित गैस (Synthesis Gas) या सिनगैस (Syngas) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।
- ◆ प्रक्रिया: कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में कोयले को हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है।
- ◆ गैसीकरण के दौरान, कोयले को उच्च दबाव पर गर्म करते हुए ऑक्सीजन तथा भाप के साथ मिश्रित किया जाता है।
- ◆ उत्पाद: इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H_2), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), प्राकृतिक गैस (CH_4) और जल वाष्प (H_2O) के मिश्रण से सिनगैस का निर्माण होता है।

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन

- ◆ यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रारंभ की गई केंद्रीय कोयला मंत्रालय की एक पहल है।
- ◆ इस मिशन का लक्ष्य कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयले का उपयोग करना है, जिसमें 4 ट्रिलियन रुपये से अधिक के निवेश के साथ 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना है।
- ◆ यह पहल रासायनिक उत्पादों और उनके डेरिवेटिव के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की परिकल्पना करती है।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

नवीन प्रौद्योगिकी

- ◆ स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल (स्मार्ट)
- ◆ अति महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों हेतु मसौदा रोडमैप
- ◆ इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन

स्वास्थ्य विज्ञान

- ◆ हेपेटाइटिस-ए वैक्सीन 'हैविशयोर'
- ◆ आईसीडी-11 मॉड्यूल 2 (मॉर्बिडिटी कोड्स) लॉन्च

नवीन प्रौद्योगिकी

स्टैंडर्ड मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल (स्मार्ट)

हाल ही में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) के सहयोग से यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका में SMART मानकों को सुन्पष्ट करने के लिए डिजिटल परिवर्तन पर दो दिवसीय IEC/ISO कार्यशाला आयोजित की।

- ❖ SMART मशीन एप्लीकेबल रीडेबल एंड ट्रांसफरेबल (SMART) पहल SMART अंतरराष्ट्रीय मानकों के डिजिटल विकास को आगे बढ़ाने के लिए IEC और ISO का संयुक्त कार्यक्रम है।
- ❖ SMART मानक मशीनों को डेटा का आदान-प्रदान करने और मानकों में उल्लिखित प्रक्रियाओं से गुजरने की अनुमति देंगे।
- ❖ SMART मानक संचालन में अधिक सटीकता सुनिश्चित करते हैं, उपयोगकर्ताओं को नवाचार-आधारित कार्य के लिए अधिक समय प्रदान करते हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (BSIS)

- ❖ भारतीय मानक ब्यूरो (BSIS) की स्थापना BSIS अधिनियम, 2016 के तहत की गई थी।
- ❖ इसका उद्देश्य वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है।
- ❖ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
- ❖ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय (RO) कोलकाता (पूर्वी), चेन्नई (दक्षिणी), मुंबई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) में हैं।

- ◆ संशोधित फार्मा विनिर्माण नियम अधिसूचित
- ◆ ट्रांस-फैट को समाप्त करने में प्रगति हेतु WHO पुरस्कार

रक्षा विज्ञान

- ◆ डीआरडीओ में सुधार से संबंधित समिति की रिपोर्ट पर बैठक

अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

- ◆ पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम
- ◆ पंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क

कार्यक्रम एवं पहल

- ◆ पृथ्वी विज्ञान (PRITHVI) योजना को मंजूरी
- ◆ 'स्मार्ट 2.0' कार्यक्रम

बैठक एवं सम्मेलन

- ◆ भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोस्तव-2023

अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)

- ❖ ISO एक गैर-सरकारी संगठन है। यह संगठन तकनीकी, औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों की एक विस्तृत शृंखला निर्मित एवं प्रकाशित करता है। ISO की स्थापना 23 फरवरी, 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
- ❖ BSIS (भारत) सहित लगभग 170 देशों के राष्ट्रीय मानक निकाय इसके सदस्य हैं।

अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC)

- ❖ IEC की स्थापना 1906 में की गई थी। इसमें 60 पूर्ण सदस्य शामिल हैं।
- ❖ यह एक वैश्विक, गैर-लाभकारी सदस्यता संगठन है और वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए एक तत्स्थ और स्वतंत्र मानकीकरण मंच प्रदान करता है।
- ❖ इन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी कहा जाता है।

अति महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों हेतु मसौदा रोडमैप

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 5 अति महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों- मोबाइल सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और क्रिप्टोग्राफी के लिए मसौदा रोडमैप जारी किये।

- ❖ ये रोडमैप दस्तावेज उन क्रमिक लक्ष्यों को सूचीबद्ध करते हैं, जिन्हें सरकार 2024 से 2047 तक हासिल करना चाहती है। इन मसौदों पर एक त्वरित नजर डालने से पता चलता है कि सरकार IoT, मोबाइल सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी पारिस्थितिक तंत्र में स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जोर दे रही है।
- ❖ ये रोडमैप 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' (C-DAC) द्वारा तैयार किये गए हैं।
- ❖ C-DAC सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास करता है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन अनुसंधान एवं विकास से संबंधित प्रमुख संगठन है।

प्रारंभिकी 2024 : प्रैक्टिस सेट

ਮੁਗੋਲ

सेट-1

प्रारंभिकी 2024 : प्रैविटस सेट

मार्तीय अर्थव्यवस्था

सेट-1

1. निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है?
- (a) आयकर (b) निगम कर
(c) उधार व अन्य देनदारियाँ (d) वस्तु एवं सेवा कर
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
 - यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता खर्च करते हैं।
 - इसे आगे वर्गीकृत किया गया है - WPI-IW, WPI-UNME, WPI-AL और WPI-RL
- उपरोक्त में से कितना/ने कथन गलत है/हैं?
- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
- प्राथमिक कृषि बाजारों में मुख्य रूप से मौसमी बाजार (Seasonal Markets) शामिल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर हाट, शांडेज (Shandies), पैंथ (Painths) और मेलों के नाम से जाना जाता है।
 - द्वितीयक कृषि बाजार संभावित खरीददारों और व्यापारियों को आकर्षित करते हैं, जो शहरी थोक बाजारों में बिक्री के लिए उपज को इकट्ठा और समेकित करते हैं।
 - प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों के विपरीत, टर्मिनल बाजारों (Terminal Markets) में अक्सर किसानों के बजाय व्यापारियों को विक्रेता के रूप में शामिल किया जाता है।
- उपरोक्त में से कितना/ने कथन सही है/हैं?
- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं
4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- कथन I: विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) से पूँजी प्रवाह को अक्सर दोधारी तलवार के रूप में देखा जाता है।
- कथन II: एफआईआई निवेश उदारीकरण के दौर से गुजर रही उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूँजी की लागत को कम करते हैं, लेकिन वे उस देश के शेयर बाजारों में अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I के लिए सही स्पष्टीकरण है
(b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है
(c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
(d) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है
5. निम्नलिखित में से कौन सा कर यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ अपने लाभ का न्यूनतम निश्चित प्रतिशत (Minimum Fixed Percentage) का भुगतान करें, भले ही वे विभिन्न कर प्रोत्साहनों और छूटों से लाभान्वित हों?
- (a) न्यूनतम वैकल्पिक कर (b) पूँजीगत लाभ कर
(c) प्रतिभूति लेनदेन कर (d) उपहार कर
6. निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 'वित्तीय समावेशन सूचकांक' प्रकाशित करती है?
- (a) भारतीय रिजर्व बैंक
(b) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
(c) आर्थिक खुफिया इकाई
(d) आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय
7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के स्थिति का सूचक होती है, यानी कि वह बढ़ रही है या मंदी का सामना कर रही है।
 - जीवीए से अर्थिक गतिविधि की स्थिति की वास्तविक तस्वीर मिलती है, यानी बेहतर कर अनुपालन के कारण जीडीपी बढ़ि के साथ-साथ उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जानी जा सकती है।
 - जीवीए का त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान राष्ट्रीय संरचनाकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा पांच व्यापक क्षेत्रों के तहत जारी किया जाता है।
- उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं
8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- बाजारों को प्रोटीन, विटामिन-ए, आयरन और आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होने के कारण पोषक अनाज या सुपरफूड के रूप में भी जाना जाता है।
 - बाजारों के संबंध में भारत का एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% योगदान है।
 - नीति आयोग और विश्व अर्थिक मंच ने एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्यधारा में लाने के लिए 'मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज' नामक पहल शुरू की है।
- उपरोक्त में से कितना/ने कथन सही है/हैं?
- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं
9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- कथन I: भारतीय कंपनियाँ थोक दवा आयात (bulk drug import) पर निर्भर हैं, विशेषकर चीन से।
- कथन II: चीन दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (Active Pharmaceutical Ingredient - API) निर्माता है, इसके बाद अमेरिका और भारत हैं।

अंतरिम बजट 2024-25

संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। संविधान में 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है। केंद्रीय बजट को राजस्व बजट (सरकार की कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों और व्यय सहित) और पूँजीगत बजट (सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों और भुगतानों सहित) में वर्गीकृत किया गया है।

वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र और 'सबका प्रयास' के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया।

- बजट अनुमान 2024-25 : उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

भाग-3

बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना एवं सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है।

- बजट में चार प्रमुख वर्गों यानी गरीबी, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता (किसान) के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

'गरीब कल्याण, देश का कल्याण'

पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की।

- पीएम-जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।
- पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता की गई है; जिसमें से 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ।
- पीएम-जनमन (PM-JANMAN) योजना के माध्यम से विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTGs) के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है।
- पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड-टू-एंड मदद प्रदान की जा रही है।

'अन्नदाता' का कल्याण

पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

| बजट का सार | | | |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| | 2022-23 वास्तविक | 2023-24 संशोधित अनुमान | 2024-25 बजट अनुमान |
| राजस्व प्राप्तियां | 2383206 | 26,99,713 | 30,01,275 |
| ➤ कर राजस्व (केन्द्र को निवल) | 20,97,786 | 23,23,918 | 26,01,574 |
| ➤ कर भिन्न राजस्व | 2,85,421 | 3,75,795 | 3,99,701 |
| पूँजी प्राप्तियां | 18,099,51 | 17,90,773 | 17,64,494 |
| ➤ ऋणों की वसूली | 26,161 | 26,000 | 29,000 |
| ➤ अन्य प्राप्तियां | 46,035 | 30,000 | 50,000 |
| ➤ उधार और अन्य देयताएं | 17,37,755 | 17,34,773 | 16,85,494 |
| कुल प्राप्तियां | 41,93,157 | 44,90,486 | 47,65,768 |
| कुल व्यय | 41,93,157 | 44,90,486 | 47,65,768 |
| ➤ राजस्व खाते पर जिसमें से | 34,53,132 | 35,40,239 | 36,54,657 |
| ➤ ब्याज भुगतान | 928517 | 1055427 | 11,90,440 |
| ➤ पूँजी खाते के सृजन हेतु सहायता अनुदान | 3,06,264 | 3,21,190 | 3,85,582 |
| ➤ पूँजी खाते पर | 7,40,025 | 9,50,246 | 11,11,111 |
| प्रभावी पूँजी व्यय | 10,46,289 | 1,271,436 | 14,966,93 |
| राजस्व घाटा | 10,69,926 (3.9) | 8,40,527 (2.8) | 6,53,383 (2.0) |
| प्रभावी राजस्व घाटा | 7,63,662 (2.8) | 5,19,337 (1.8) | 2,67,801 (0.8) |
| राजकोषीय घाटा | 17,37,755 (6.4) | 17,34,773 (5.8) | 16,85,494 (5.1) |
| प्राथमिक घाटा | 8,09,238 (3.0) | 6,79,346 (2.3) | 4,95,054 (1.5) |